कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 2017–18 के प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पदों के विरूद्ध चयनित कार्मिकों का पदस्थापन इस कार्यालय के आदेश कमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/डीपीसी17–18 दिनांक 25.09.2017 द्वारा किया गया। उक्त आदेश में क्रम सं 87, वरिष्ठता कमांक 1352 (2013–14), श्रीमति विजय शर्मा, प्रधानाध्यापक रामावि–कुशालगढ, उमरैण, अलवर को पदौन्नति उपरान्त जरिए काउन्सलिंग उनकी सहमति से राउमावि–मेढी कोटडा, उदयपुर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर पदस्थापित किया गया किन्तु कार्मिक द्वारा उक्त स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया गया।

श्रीमती विजय शर्मा द्वारा काउन्सलिंग के समय प्रदर्शित रिक्तियों में अपने गृह जिले अलवर में प्रधानाचार्य के कई पद रिक्त होते हुए भी काउन्सलिंग में प्रदर्शित नहीं किये जाने और तत्पश्चात् विवश होकर राउमावि–मेढी कोटडा उदयपुर हेतु अपनी सहमति प्रदान करने से आहत होकर माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में एस बी सिविल याचिका संख्या 1615/2018 श्रीमति विजय शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.01.2018 द्वारा याचिकार्थी को अपनी पीडा व्यक्त करते हुए प्रत्यर्थीगण के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थीगण द्वारा उक्त अभ्यावेदन को विधि अनुसार कन्सीडर करते हुए एक सकारण आख्यात्मक आदेश पारित कर 06 सप्ताह के भीतर निस्तारण करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उनके द्वारा दिनांकः 03.01.2018 को प्रधानाचार्य के पद पर पदौन्नति परित्याग हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र को उनकी स्वीकृति से पूर्व विड्रॉ करने एवं पदौन्नति पर पदस्थापन अलवर जिले में राउमावि–बालिका गढी सवाईराम, रैणी, राउमावि–गण्डूरा, लक्ष्मणगढ, राउमावि–हसनपुर, लक्ष्मणगढ, राउमावि–सिरमौली, किसनगढ बास, राउमावि–कोलगांव अथवा अलवर जिले में प्रधानाचार्य के किसी अन्य रिक्त पद पर करने की परिवेदना की गई।

याचिकार्थी से सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। याचिकार्थी को पूर्व में काउन्सलिंग के समय महिला वर्ग का लाभ दिया जाकर ही वरिष्ठतानुसार उनकी काउन्सलिंग की गई थी जिसमें याचिकार्थी द्वारा राउमावि–मेढी कोटडा, उदयपुर का चयन किया गया एवं तद्नुसार उनके पदस्थापन आदेश प्रसारित कर दिये गए। काउन्सलिंग में सभी रिक्त पदों को प्रदर्शित नहीं किया गया क्योंकि शासन के पत्र कमांकः प. 17(4) शिक्षा–2/2009 दिनांकः 12.02.2016 के अनुसार काउन्सलिंग में केवल स्पष्ट रूप से रिक्त पदों को ही शामिल करने हेतु दिशा–निर्देश प्राप्त हैं। याचिकार्थी **श्रीमती विजय शर्मा द्वारा प्रधानाचार्य पद पर पदौन्नति उपरान्त उदयपुर जिले में पदस्थापन होने पर निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं किया गया और पदौन्नति परित्याग हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा किसी प्रकार का कार्यग्रहण अभिवृद्धि सम्बन्धी प्रार्थना पत्र भी विभाग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।**

श्रीमती विजय का अब पदौन्नति परित्याग का प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं कर अलवर जिले में पदस्थापन हेतु किया गया निवेदन नियमानुकुल नहीं है। याचिकार्थी द्वारा काउन्सलिंग उपरान्त चयनित स्थान पर निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण उनका पदौन्नति परित्याग स्वतः ही हो गया। अतः याचिकार्थी **श्रीमती विजय शर्मा, प्रधानाध्यापक, रामावि–कुशालगढ, उमरैण, अलवर का अभ्यावेदन खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।** सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/विजय शर्मा/याचिका/1615/2018 दिनांक 16-3-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा , राजस्थान सरकार जयपुर।
2. सम्बन्धित उपनिदेशक।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर/उदयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित संस्था प्रधान ।
8. संबंधित कार्मिक/याचिकार्थी

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)